निग0 5687/2018/रीवा/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट जिला रीवा म0प्र0

आवेदन पत्र की अवेदक श्री डी.एल. ओझा एड0 द्वारा पेश 17.9.18

निगरानी प्रकरण क्र0 ....

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
विलोपित / विलोपित विलोपित

राजस्व मण्डल न्यायालय (सर्किट कोर्ट) रीवा

01– गिरधारी तनय स्व0 शोभनाथ मिश्रा

02– अमृतलाल तनय स्व0शोभनाथ मिश्रा

03– रतनचन्द्र तनय रामवदन मिश्रा

04– कमला पत्नी रामवदन मिश्रा

सभी निवासी ग्राम जवा (भक्ता टोला) तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0
——निगरानीकर्तागण / आवेदक/प्रत्यार्थी

बनाम

जवाहरलाल तनय शोभनाथ मिश्रा निवासी ग्राम किरहाई हाल मुकाम ववन्धर तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0
——गैर निगरानीकर्ता/ अनावेदक/अपीलार्थी

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0 सं0 विरूद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा (श्री मधुकार. अगनेह) के प्रकरण क्रमांक 864/अपील 15–16 आदेश,दिनांक 20/08/2018 में पारित

मान्यवर,

निगराकारगण की निगरानी निम्नलिखित आधार पर प्रस्तुत है:–

01– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र0 864/ अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 20/08/2018 विधि–विधान व न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने से व्यर्थ व शून्य हैं, जिसे कायम रखा जाना विधि संगत नही है।

02– मामले में निगरानीकर्ता एवं गैर निगराकार एक ही परिवार के सदस्य हैं जिसके मूल पूरूष तनहा शोभनाथ रहे जिनका सजरा खानदान स्पष्ट करना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैं:–

(27)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

रण क्रमांक निग0–5687/2018/रीवा/भू–रा0 जिला– रीवा

गिरधारी मिश्रा/ जवाहरलाल मिश्रा

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री डी0एस0 ओझा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 864/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	